बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

विषयः– संविदा के आधार पर व्यवसाय अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के क्षेत्राधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में संविदा के आधार पर नियुक्त व्यवसाय अनुदेशकों का मानदेय वृद्धि विचाराधीन था। सम्यक विचारोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 की कंडिका–4 के प्रावधानों के आलोक में संविदा के आधार पर कार्यरत व्यवसाय अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि हेतु गठित समिति के ज्ञापांक–1293 दिनांक 26.05.2017 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के द्वारा मानदेय के प्रस्ताव पर अनुमोदन के फलस्वरूप शहरों की श्रेणी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार मानदेय की राशि जो क्रमशः 19800/–, 18400/–, 18000/– एवं 17800/– थी, को निम्नवत पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया जाता है–

क्र0 सं0	पटना शहर बी–1	अन्य शहर सी श्रेणी	अवर्गीकृत स्थान	ग्रामीण क्षेत्र
मानदेय	34500/– (चौंतीस हजार पाँच सौ रू0)	33200/– (तैंतीस हजार दो सौ, रू0)	32900/– (बत्तीस हजार नौ सौ रू0)	32500/– (बत्तीस हजार पाँच सौ रू0)

2– यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से लागू होगा।
3– प्रस्ताव में वित्त विभाग का सहमति प्राप्त है।
4– प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

"आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भेज दी जाय तथा यह भी निदेशित किया जाता है कि आम जानकारी के लिए संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय"।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–1/स्था0 (2) नि0–73/2009–........../ प ट ना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रभारी ई0 गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक गुलजारबाग प्रेस, पटना को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–1/स्था0 (2) नि0–73/2009–........../ प ट ना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटन/सभी जिला कोषागार/उप–कोषागार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–1/स्था0 (2) नि0–73/2009–1868/ प ट ना, दिनांक– 10.08.17

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण के आप्त सचिव/सभी क्षेत्रीय उप–निदेशक प्रशिक्षण/सभी प्राचार्य औ0 प्र0 संस्थान (महिला सहित)/ आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
10/8/17

C-3+2-T.S- SANKALP
10-08-17-P-13